रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2000/चैत्र 8, 1922
No. 56] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2000/CHAITRA 8, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

संशोधन

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2000

संख्या ए-45012(2)/98-प्रशा.-3(वि.का.).—"संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग" के गठन के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2000 को जारी संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त संकल्प के पैरा 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"4. सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त कर सकेगी जिसे 26,000 रु. प्रतिमाह का समेकित पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। यदि वह सरकारी पेंशनर हो, तो उसकी पेंशन की राशि उसके पारिश्रमिक में से घटा दी जाएगी। उसकी सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें वही होंगी जो भारत सरकार के सचिव के लिए लागू हैं। वह निवास के लिए 26,000 रु. प्रतिमाह का पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले लोक सेवक को देय टाइप का सरकारी आवास प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि आयोग का सचिव सेवारत लोक सेवक हुआ, तो वह अपना विद्यमान वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और निवास के लिए उसी टाइप का सरकारी आवास प्राप्त करने का हकदार होगा जो उसके विद्यमान पद के लिए अनुज्ञेय है। यदि आयोग के सचिव पद पर भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव को नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सेवा के निबंधन व शर्तें वही होंगी जो भारत सरकार के सचिव के लिए लागू हैं।"

आर.एल. मीना, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

AMENDMENT

New Delhi, the 27th March, 2000

No. A-45012(2)/98-Admn. III(LA).—In partial modification of the Resolution dated 22-2-2000, providing for constitution of the 'National Commission to Review the Working of the Constitution', para 4 of the said Resolution shall be substituted as follows :—

"4. The Government may appoint a Secretary to the Commission who shall be paid a consolidated remuneration of Rs. 26,000/- per month. His or her pension, if any, shall be deductible from the remuneration, in case he or she is a Government pensioner. Other terms and conditions of service will be same as applicable to a Secretary to the Government of India. The Secretary shall be entitled to Government accommodation for residence of the type permissible to a public servant drawing a remuneration of Rs. 26,000/- per month and if the Secretary is a serving public servant, he or she will draw his existing pay and allowances and will be entitled to a Government accommodation for residence as per his or her entitlement as such public servant. In case a retired Secretary to the Government of India is appointed as Secretary to the Commission, the terms and conditions of his service shall be the same as applicable to a Secretary to the Government of India."

R.L. MEENA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064